



सत्यमेव जयते



IN-UK12676874037629X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand


₹100

e-Stamp

₹100710071007100

Certificate No. : IN-UK12676874037629X
 Certificate Issued Date : 13-Aug-2025 02:40 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1211604/ RISHIKESH/ UK-DH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121160431981856574274X
 Purchased by : RCC DEVELOPERS LTD DWARA DEVENDRA DUTT SHARMA
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : -
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : RAJA BHATT
 Second Party : RCC DEVELOPERS LTD DWARA DEVENDRA DUTT SHARMA
 Stamp Duty Paid By : RCC DEVELOPERS LTD DWARA DEVENDRA DUTT SHARMA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



Vijay Kumar Sharma
 Stamp Vendor
 Court Compound, Rishikesh

IN-UK12676874037629X
 13/08/2025

Please write or type below this line IN-UK12676874037629X

किरायानामा

मैं कि राजा भट्ट पुत्र स्व० श्री सीताराम भट्ट निवासी गौरी विहार, हरिपुरकला तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) आधार सं०.3988 1176 4241

.....प्रथमपक्ष/भवन स्वामी।

एवं

आर०सी०सी०डेवलपर्स लिमिटेड 109 सीटी सेंटर बच्चा पार्क मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर देवेन्द्र दत्त शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा निवासी 417 सेक्टर 11, वसुन्धरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201012 आधार सं० 5751 8799 5262.


Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

.....द्वितीयपक्ष/किरायादार।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम बुल्लावाला निकट बी0एस0एफ0 कैम्प, तहसील डोईवाला जिला देहरादून में अपनी भवन सम्पत्ति है जिसमें दो कमरे, एक किचन, बरामदा आदि निर्मित है तथा 8 बीघा भूमि खाली है वर्णित भूमि भवन सम्पत्ति हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त पाक साफ दशा में है तथा प्रथमपक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर काबिज व अध्यासी है प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त भूमि भवन सम्पत्ति द्वितीयपक्ष के आग्रह पर ग्यारह माह यानि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 30.06.2026 तक के लिए किराये पर दे दी है जिसकी शर्तें निम्न है :-

- 1- यह कि उक्त भूमि भवन सम्पत्ति का मासिक किराया 17,100/- (सत्रह हजार एक सौ रुपये) तय हुआ है तथा बिजली व पानी का बिल द्वितीयपक्ष किराये के अतिरिक्त अलग से वहन करेगा।
- 2- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भवन का किराया प्रत्येक अग्रेजी माह की 07 तारीख तक प्रथमपक्ष को भुगतान कर देगा तथा द्वितीयपक्ष उक्त भवन व उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखेगा उक्त किराये वाले भवन पर तोड़ फोड़ व स्वरूप परिवर्तन नहीं करेगा, ना ही कोई नया निर्माण आदि करेगा।
- 3- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त किराये वाली भूमि भवन सम्पत्ति पर किसी अन्य को साझीदार व भागीदार नहीं रखेगा न ही किसी अन्य को किराया शिक्मी पर देगा।
यह कि द्वितीयपक्ष ने उक्त भूमि भवन सम्पत्ति कंकरीट प्लांट हेतु किराये पर दिया है द्वितीयपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति पर कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा कंकरीट सम्बन्धि मशीन आदि लगा सकता है।
- 5- यह कि यदि प्रथमपक्ष को उक्त भूमि भवन सम्पत्ति की आवश्यकता किरायानामा अवधि से पूर्व होती है तो वह एक माह पूर्व लिखित व मौखिक सूचना द्वितीयपक्ष को देकर उक्त किराये वाली सम्पत्ति खाली करवा सकता है तथा यदि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति को खाली करना चाहे तो वह भी एक माह पूर्व लिखित व मौखिक सूचना प्रथमपक्ष को देकर उक्त भूमि भवन सम्पत्ति को खाली कर देवे।



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

6- यह कि यदि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति का किराया लगातार दो माह तक भुगतान नहीं करता है तो प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह लिखित व मौखिक सूचना देकर उक्त सम्पत्ति द्वितीयपक्ष से खाली करवा लेवे तथा बकाया किराया कानूनन वसूल कर लेवे जिस पर द्वितीयपक्ष कोई प्रतिवाद नहीं करेगा।

7- यह कि किरायानामा अवधि समाप्त होते ही द्वितीयपक्ष उक्त किरायेवाली उक्त भूमि भवन सम्पत्ति को साफ सुथरी हालत में खाली कर प्रथमपक्ष को सौंप देगा।

8- यह कि यदि द्वितीयपक्ष पुनः उक्त भूमि भवन सम्पत्ति किराये पर लेना चाहे तो प्रथमपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति द्वितीयपक्ष के व्यवहार को देखते हुए पुनः भूमि भवन सम्पत्ति किराये पर देने व न देने हेतु स्वतन्त्र है यदि द्वितीयपक्ष को किराये पर देता है तो नये किरायेनामे व नई शर्तों पर दे सकता है।

यह कि उपरोक्त वर्णित शर्तों का दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी समान रूप से पालन करेंगे।

अतः यह किरायानामा आज दिनांक 13.08.2025 को स्थान ऋषिकेश जिला देहरादून में दोनों पक्षों ने उपस्थित गवाहन के समक्ष अपने स्वस्थ मनबुद्धि से बिना किसी बहकावों में आये लिख पढ़ समझकर तैयार कर अपने अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

ह0 द्वितीयपक्ष/किरायेदार D. D. Kuliyaal 13/8/25 ह0 प्रथमपक्ष/भवन स्वामी [Signature]

गवाह-1 [Signature]

गवाह-2.....

ह0 30/8/25
गवाह-1 [Signature]

ह0 30/8/25
गवाह-2 [Signature]

ह0 30/8/25
गवाह-3 [Signature]

ह0 30/8/25
गवाह-4 [Signature]

ह0 30/8/25
गवाह-5 [Signature]

ATTESTED
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01) 2001
Rishikesh Distt. Dehradun
Uttarakhand / INDIA

13/8/25